HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 9976/2026
URN: CW / 22229U / 2026

Go Digit General Insurance Company Limited, Through Manager (Legal) Regional Office Queens Corner, Fourth Floor, Scheme Rathore Nagar, Queens Road, Amrapali Marg, D- Block, Vaishali Nagar, Jaipur (Raj.) 302021 (Insurance Company) Through Its Constituted Attorney

----Petitioner

Versus

1. Babu Lal Meena, S/o Shri Ramkumar Meena, Aged About 38 Years, Resident Gram Devpura (Gokulpura -Guda), Tehsil Hindoli, District Bundi, Raj.
2. Lokesh Singh, S/o Shri Ramdev Meena, R/o Meghwalon Ka Mohalla, Gram Tokda, Tehsil Hindola, District Bundi, Raj.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Virendra Agrawal
Mr. Prakhar Agrawal
Ms. Anjali Assat

For Respondent(s) :

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA
Order

29/06/2026

यह याचिका विद्वान न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम–2 बूंदी के आदेश दिनांक 18.05.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकार बीमा कम्पनी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, जो दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की लोकेशन एवं उसके चालक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल तथा टॉवर लोकेशन सम्बन्धी दस्तावेजों को प्रस्तुत करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया था, को निरस्त किया गया है। साथ ही उक्त आदेश में बीमा कम्पनी के विधिक अधिकारी पर दस हजार रूपये हर्जा लगाया गया है, जो उसके वेतन से वसूल किए जाना योग्य होना अधिकरण द्वारा आदेशित किया गया है, उसे भी चुनौती दी है।

याचिकाकार को याचिका पर सुना गया।

याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि नियम 25 केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के प्रावधानों के अंतर्गत बीमा कम्पनी पर यह दायित्व डाला गया है कि वह दुर्घटना कारित करने वाले वाहन, चालक आदि के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल तथा लोकेशन आदि के सम्बन्ध में दस्तावेज प्राप्त कर दुर्घटना और क्लेम सम्बन्धी तथ्यों का सत्यापन करे। उनका तर्क है कि इसी नियम के अनुरूप बीमा कम्पनी की ओर से उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था। उनका उद्देश्य प्रकरण में विलम्ब करने का नहीं रहा है। उनका तर्क है कि विद्वान अधिकरण ने अपने आदेश में बीमा कम्पनी के विधिक अधिकारी के सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए यह अंकित किया है कि उन्होंने बिना विधि के प्रावधानों का अवलोकन किए हुए ही प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करवाया है और इस कारण विधिक अधिकारी पर व्यक्तिगत रूप से हर्जा अधिरोपित किया है, जो अनुचित एवं विधिविरूद्ध है। उनका तर्क है कि यदि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन और उसके चालक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल एवं लोकेशन आदि रिकॉर्ड पर आती तो वस्तुस्थिति अधिकरण के समक्ष आ सकती थी क्योंकि बीमा कम्पनी की यही प्रतिरक्षा रही है कि दुर्घटना बीमाकृत वाहन से कारित ही नहीं हुई है।

तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। आलौच्य आदेश का भी अवलोकन किया गया।

याचिकाकार द्वारा विद्वान अधिकरण में प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सीपीसी के द्वारा घटना की तिथि को वाहन चालक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और टॉवर लोकेशन ट्रेसिंग रिपोर्ट अनुसंधान अधिकारी से प्रस्तुत करवाए जाने की प्रार्थना की गई, जबकि जो अनुसंधान किया गया था उसमें ऐसे दस्तावेज अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्राप्त ही नहीं किए गए थे और ऐसे दस्तावेज अस्तित्व में ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता था।

विद्वान अधिवक्ता ने यह भी स्वीकार किया है कि आपराधिक प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जाकर प्रकरण का निर्णय भी किया जा चुका है। वैसे भी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को अग्रिम अनुसंधान (Further Investigation) के लिए आपराधिक प्रकरण में निर्देश देने का कोई अधिकार भी नहीं है। ऐसी स्थिति

में याचिकाकार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सीपीसी निरस्त करने सम्बन्धी जो आदेश पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की अवैधता, अनुचितता एवं विधि विरूद्धता नहीं है।

जहां तक बीमा कम्पनी के विधिक अधिकारी पर व्यक्तिगत रूप से दस हजार रूपये हर्जा अधिरोपित करने सम्बन्धी आदेश है तो इस सम्बन्ध में उल्लेख है कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 25 में बीमा कम्पनी पर यह दायित्व डाला गया है कि वह दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल तथा लोकेशन आदि के सम्बन्ध में दस्तावेज प्राप्त कर दुर्घटना और क्लेम सम्बन्धी तथ्यों का सत्यापन करे। इन्हीं प्रावधानों के चलते विधिक अधिकारी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करवाया गया है जो निश्चित रूप से पक्षकार बीमा कम्पनी की ओर से ही प्रस्तुत हुआ है। ऐसी स्थिति में जो भी विलम्ब हुआ है उसे बीमा कम्पनी के विधिक अधिकारी की ओर से किया गया विलम्ब नहीं कहा जा सकता है और विधिक अधिकारी द्वारा जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करवाया गया है वह भी वास्तविकता में पक्षकार बीमा कम्पनी की ओर से ही प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र है। ऐसी स्थिति में किसी भी अधिकारी जो कि पक्षकार के लिए अपने कर्तव्य के निर्वहन में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रहा है, पर व्यक्तिगत रूप से हर्जा लगाया जाना उचित नहीं है। अतः उक्त आलौच्य आदेश को इस प्रकार से संशोधित किया जाना उचित है कि विद्वान अधिकरण ने जो विलम्ब हेतु हर्जा लगाया है वह विधिक अधिकारी नहीं बल्कि बीमा कम्पनी जो कि प्रकरण में पक्षकार है, द्वारा ही देय है।

अतः आदेश दिनांक 18.05.2026 में इस प्रकार से संशोधन किया जाता है कि दस हजार रूपये की हर्जे की राशि विधिक अधिकारी बीमा कम्पनी के वेतन से नहीं काटी जाकर इसका भुगतान पक्षकार बीमा कम्पनी की ओर से किया जावेगा। साथ ही विधिक अधिकारी बीमा कम्पनी के सम्बन्ध में विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आलौच्य आदेश में जो टिप्पणी की गई है, उसे अभिलेख से हटाया जाने का भी आदेश दिया जाता है। इसी प्रकार से याचिका निस्तारित की जाती है। स्थगन एवं अन्य विविध प्रार्थना–पत्र यदि कोई हो तो वे भी उक्तानुसार निस्तारित किए जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J

18/AJAY KUMAR SINGHAL/712